रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 431] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 1985/आश्विन 3, 1907
No. 431] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 25, 1985/ASVINA 3, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1985

सं. 212 /85-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 759(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 99/84 के.

उ. शु., तारीख 30 अप्रैल, 1984 का निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में पैरा 2 में "30 सितम्बर, 1985" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 1986" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 90/14/85-के. उ. शु.-3]

सी. माथुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 1985

No. 212|85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 759(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 99|84-Central Excies, dated the 30th April, 1984, namely :—

In the said notification, in paragraph 2, for the figures, letters and words "30th day of September, 1985", the figures, letters and words "31st day of March, 1986", shall be substituted.

[F. No. 90|14|85-CX-3]

C. MATHUR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985